

श्री सामु राजक
 पिता - रघु राजक
 ग्राम - दिगावर
 जनाम

पुल-चन्द महतो, देवकी महतो
 शिमपुलरा महतो, पिता नकुल महतो
 लक्ष्मण महतो पिता दुलाल महतो
 ग्राम - दिगावर

आवेदन
 (विधि विनियम क्र. १२४१ का विषय १२५)

विविधवाद सं० ०७/२०-२१

आवेदन सं०
 दिनांक
 पृष्ठ सं०

आवेदन सं० संख्या
 आदि ल. दि०

साक्षर और पढ़ाईकारों का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में
 दिनांक और स्थिति

14-09-20 श्री सामु राजक पिता रघु राजक ग्राम दिगावर
 ने आवेदन पत्र देकर सुचित किया है कि मौजा
 दिगावर के खाना सं. 72 लॉट सं. 2350 रकवा
 0.09 ए. सुमि केवाला सं. 14805 दिनांक 19-10-2002
 एं केवाला सं. 7730 दिनांक 28.5-2002 रकवा रकवा
 क्रमशः 0.06 ए., 0.03 ए. कुल रकवा 0.09 ए.
 सुमि रशीदगी से हसिल है, लगात रशीद वर्ष-17-18
 तक निर्गत एा सुमि पर दरबल करवा है।
 परंतु पुल-चन्द महतो केा पिता नकुल महतो एा
 लक्ष्मण महतो पिता दुलाल महतो के रकवा जाकर
 करवा करवा-वाएत है, एं जाज से मारने की
 धमकी दिना जाता है।

आवेदन सामु राजक के आवेदन पत्र
 के आलोक में राजत उप निरीक्षक एा
 जांच किया जाा। जांच प्रतिवेदन में
 सुचित किया है कि मौजा दिगावर के खाना
 सं. 72 लॉट सं. 2350 रकवा 0.06 ए. लॉट सं.
 2350 रकवा 0.03 ए. कुल रकवा 0.09 ए. सुमि
 सर्वे खातान में रशीद खान की सुमि है।
 पंजी II के पृष्ठ सं. 175/IV में सामु राजक के नाम
 से जमाखेदी दर्ज है। लगात रशीद वर्ष 17-18 तक
 निर्गत है। दोनों पत्र वात करत है।

अतः राजत उप निरीक्षक एा
 जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोनों पत्रों
 नोडिशा निर्गत पर आवाजत की मौजा सं.
 रसिले रत दिनांक 22-09-20 को रत है।

कमल शिवाजी
 हाई

22-09-20

अभिलेख उपस्थापित / नामिका प्रतिवेदन प्राप्त है।
दोनों पक्ष उपस्थित / अधोदस्तावेज अन्य कार्य में
रहते। अभिलेख दिनांक 06.10.20 को
उपस्थापित करें।

अ. अ.

अंचल अधिकारी का न्यायालय, माण्डू

आदेश पत्र

विविध वाद सं० - 07/20-21

श्री सामू रजक बनाम् फूलचन्द महतो वगै०

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

10.2020
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख राजस्व उप-निरीक्षक हल्का सं० VIII के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की गई।
दोनो पक्षों के द्वारा दिनांक-06.10.2020 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखा एवं भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया। कागजातों के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक शामू धोबी पिता-रधु धोबी, ग्राम दिगवार को मौजा दिगवार के खाता सं० 72 प्लॉट सं० 2350, रकवा 0.06 ए० भूमि केवाला सं०-14805 दिनांक 19.10.2002 से एवं केवाला सं० 7730 दिनांक 25.05.2002 से 0.03 ए० कुल रकवा 0.09 ए० भूमि खरीदगी से हासिल है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं० 685/2002-03 के अनुसार पंजी II के पृष्ठ सं० 175/IV में शामू धोबी के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान रसीद वर्ष 20-21 तक निर्गत है। वर्तमान में भूमि पर प्रथम पक्ष शामू धोबी का दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष खतियानी वंशज होने के आधार पर बिक्री की गई भूमि पर आपति व्यक्त की गई है। फलतः खतियानी रैयतो के बीच बटवारा को लेकर विवाद है, बटवारा संबंधि विवाद का निस्पादन के लिए अंचल सक्षम न्यायालय नहीं है। फलतः द्वितीय पक्ष को सक्षम न्यायालय में आपसी बटवारानामा संबंधि विवाद का निस्पादन किया जाता है। आ सकता है,
अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

2
6/10/2020
अंचल अधिकारी
माण्डू